"राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1."राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह" क्या है

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई) बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट्स और सरकार को " राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एन.ए.सी.एच)" नामक एक सेवा प्रदान करता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट लेनदेन दोनों शामिल हैं, जिसे एन.ए.सी.एच कहा जाता है। इसका उद्देश्य एन.पी.सी.आई सेवा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर-बैंक उच्च मात्रा, कम मूल्य वाले डेबिट/क्रेडिट लेनदेन की सुविधा प्रदान करना है, ऐसे लेन-देन जो प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं।

2.भा. रा. भु. नि (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम):

भा.रा.भु.नि (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम)भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है जो यू.पी.आई भुगतान, भारत बिल भुगतान, रुपे कार्ड, फास्टैग, एन.ए.सी.एच आदि जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। एन.पी.सी.आई प्रायोजक और गंतव्य बैंकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह कॉरपोरेट्स के लिए उपयोगिता कोड बनाता है और प्रायोजक बैंक को इसकी जानकारी देता है

3.कॉरपोरेट:

कॉर्पोरेट्स एन.ए.सी.एच.सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें एन.पी.सी.आई के साथ पंजीकरण करना होगा और प्रायोजक बैंक के माध्यम से एन.ए.सी.एच सेवाओं के लिए विशिष्ट पहचान कोड (उपयोगिता कोड) प्राप्त करना होगा।

4. ग्राहक:

ऋण किस्त, एस.आई.पी, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली शुल्क, दूरसंचार, पानी आदि जैसे उपयोगिता बिलों के पुनर्भुगतान के लिए उनके खातों को डेबिट करने के लिए कॉर्पोरेट/उपयोगकर्ता संस्थानों को एन.ए.सी.एच. अधिदेश फॉर्म प्रस्तुत करना।

5. प्रायोजक बैंक क्या है?

प्रायोजक बैंक वह बैंक है, जो एन.ए.सी.एच. सेवाओं के लिए पंजीकृत अपने कॉरपोरेट्स की ओर से धन के संग्रह/वितरण के लिए एन.ए.सी.एच. अधिदेश/लेनदेन फाइलें दर्ज/पहल करता है।

6. गंतव्य बैंक क्या है?

'गंतव्य बैंक' वह है जो आवक एन.ए.सी.एच अधिदेश/लेनदेन फाइलों के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है।

7. यू.एम.आर.एन क्या है?

यू.एम.आर.एन. एक अद्वितीय अधिदेश संदर्भ संख्या है जो एन.ए.सी.एच. डेबिट में बनाए गए प्रत्येक नए अधिदेश को आवंटित की जाती है। यह अधिदेश निर्माण के दौरान एन.ए.सी.एच. प्रणाली द्वारा स्वतः उत्पन्न होती है। यू.एम.आर.एन. प्रत्येक लेनदेन के लिए और यहां तक कि अधिदेश संशोधन और निरस्तीकरण के दौरान भी अनिवार्य है।

8. अधिदेश प्रबंधन प्रणाली क्या है?

अधिदेश प्रबंधन प्रणाली एन.ए.सी.एच. डेबिट की एक सेवा है जो अधिदेश निर्माण, संशोधन, निरस्तीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है और संबंधित बैंक डोमेन में अपने ग्राहकों/ग्राहकों द्वारा निष्पादित अधिदेश से संबंधित सभी एम.आई.एस. प्रदान करती है।

एन.ए.सी.एच. की विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं

- अधिदेश निर्माण: उपयोगकर्ता संस्थान के पक्ष में ग्राहक द्वारा एक नए अधिदेश का निर्माण।
- अधिदेश संशोधन: सक्रिय अधिदेश के किसी भी क्षेत्र में संशोधन,संशोधन के लिए यू.एम.आर.एन. उद्धृत करने की आवश्यकता है।
- अधिदेश निरस्तीकरण: सक्रिय अधिदेश के निरस्तीकरण के लिए - यू.एम.आर.एन. का उल्लेख करना आवश्यक है।
- अधिदेश निलंबन: एक अस्थायी अवधि के लिए सक्रिय अधिदेश का निलंबन, जिसे निरस्त करने की अनुमति कम है - यू.एम.आर.एन. उद्धृत करना आवश्यक है।
- अधिदेश निरसन: अधिदेश का निरसन जो पहले निलंबन चरण में था – यू.एम.आर.एन को उद्धृत करना आवश्यक है।

9. अधिदेश के पंजीकरण के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- भौतिक रूप से
- ई- हस्ताक्षर
- ए.पी.आई आधारित ई-अधिदेश

10. भौतिक अधिदेश पंजीकरण क्या है?

ग्राहक/क्लाइंट को निर्धारित प्रारूप में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरने होंगे और इसे अपने डोमेन में आगे की कार्यवाही के लिए अपनी संबंधित शाखाओं में जमा करना होगा। गंतव्य बैंक से सफल प्रतिक्रिया के बाद, अधिदेश पंजीकरण सफल हो जाता है।

11. ई-साइन अधिदेश क्या है?

ई-साइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा आधार ई-केवाईसी सेवाओं का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता को प्रमाणित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए एक अभिनव पहल है।

12. ए.पी.आई क्या है?

एप्लिकेशन-प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन या वेब टूल तक पहुंचने के लिए प्रोग्रामिंग निर्देशों और मानकों का एक सेट है जो दो एप्लिकेशन को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है।

13. एपीआई आधारित ई-मैंडेट पंजीकरण क्या है?

ग्राहक निम्नलिखित छह प्रमाणीकरण मोड के साथ अधिदेश पंजीकृत कर सकते हैं:

a. 15,000/- से अधिक के अधिदेशों के लिए

1. इंटरनेट बैंकिंग
2. डेबिट कार्ड
3. आधार

b. 15,000/- से कम के सरलीकृत ई-मैंडेट्स के लिए

1. पैन कार्ड
2. ग्राहक पहचान पत्र
3. आधार (यू.आई.डी.ए.आई के माध्यम से नहीं)

14. गंतव्य अधिदेश (अर्थात एसबी/ओडी खाते पर विद्यमान अधिदेश) को रद्द करने की प्रक्रिया क्या है?

शाखा में: ग्राहक उस शाखा से संपर्क कर सकता है जहां उसका बचत/चालू और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाता है, जहां अधिदेश पंजीकृत है।

ऑनलाइन माध्यम से: ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सेवा टैब के माध्यम से भी अधिदेशको रद्द कर सकते हैं।

- चरण निम्नानुसार हैं:

1. ग्राहक का प्रमाणीकरण लॉग-इन आईडी और पासवर्ड या ओ.टी.पी का उपयोग करके किया जाना चाहिए।
2. ग्राहक आईडी के लिए पंजीकृत अधिदेश (भौतिक अधिदेश और ई- अधिदेश) की संख्या प्रदर्शित की जाएगी।
3. रद्द करने के लिए किसी भी अधिदेश का चयन करने की अनुमति होगी और प्रमाणीकरण के बाद ही रद्द करने का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

4. एक पॉप अप संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें वैध अधिदेश के निरस्तीकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा पुष्टि मांगी जाएगी। निरस्तीकरण की पुष्टि होने पर, यह आगे बढ़ जाएगा।
5. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस भेजा जाएगा जिसमें सूचित किया जाएगा कि उसने अपने खाते में पंजीकृत अधिदेश को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
6. बैंक आगे की प्रक्रिया के लिए एन.पी.सी.आई के माध्यम से गंतव्य बैंक को रद्दीकरण अनुरोध फ़ाइल भेजेगा।
7. बैंक एनपीसीआई से अंतिम प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद रद्दीकरण अनुरोध को अद्यतन करेगा।
8. अधिदेश रद्दीकरण की पुष्टि करने वाला एसएमएस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
9. लेन-देन बैंक द्वारा आगे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

15. प्रायोजक अधिदेश को रद्द करने के विभिन्न तरीके क्या हैं (उदा. ऋण खाते या कॉर्पोरेट पर अधिदेश मौजूद है)?

- **कॉर्पोरेट्स के लिए:**

  ग्राहक को अधिदेश रद्द करने के लिए कॉर्पोरेट से संपर्क करना चाहिए। अनुरोध के आधार पर, कॉर्पोरेट अनुरोध शुरू करने के लिए प्रायोजक बैंक को सूचित करेगा।

- ग्राहक को अधिदेश रद्द करने के लिए ऋण स्वीकृति शाखा/कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। चूंकि अधिदेश रद्द करने से वसूली प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए शाखा/कार्यालय को ऋण स्वीकृति शाखा/कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

16. अधिदेश का निलंबन/निरसन क्या है?

किसी अधिदेश का निलंबन अस्थायी प्रकृति का होता है और इसे निरस्त विकल्प के माध्यम से फिर से सक्रिय किया जा सकता है। निलंबन अवधि के दौरान कोई भी लेनदेन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

17. अधिदेश को कौन संशोधित/रद्द कर सकता है?

संशोधन/रद्दीकरण केवल प्रायोजक बैंक द्वारा किया जा सकता है और यह प्राप्तकर्ता बैंक की स्वीकृति के बाद प्रभावी होगा।

18. एन.ए.सी.एच. डेबिट क्या है?

एन.ए.सी.एच. डेबिट एन.पी.सी.आई. का उत्पाद है जो बैंकों को बेहतर और कुशल अधिदेश आधारित डेबिट सेवाएँ प्रदान करता है। एन.ए.सी.एच. डेबिट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं |

- पावती/पुष्टि के लिए सुपरिभाषित समयसीमा के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिदेश सूचना का स्वचालित प्रसंस्करण और आदान-प्रदान।
- उपयोगकर्ता द्वारा लेनदेन आरंभ करने से पहले प्रत्येक अधिदेश को देनदार बैंक द्वारा स्वीकार/अधिकृत किया जाना आवश्यक है
- प्रत्येक अधिदेश को विशिष्ट अधिदेश संदर्भ संख्या (यू.एम.आर.एन) द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, जो ग्राहकों के लिए विभिन्न अधिदेश विवरणों को ट्रैक करना आसान बनाता है।

19. एन.ए.सी.एच. क्रेडिट क्या है?

एन.ए.सी.एच. क्रेडिट एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा है जिसका उपयोग किसी संस्था द्वारा उपयोगकर्ता संस्था के बैंक खाते में एक ही डेबिट करके बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए उनके बैंक खातों में क्रेडिट प्रदान करने के लिए किया जाता है।

सी.सी.पी.एस अनुभाग

संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय एनेक्स, कृषि भवन, नृपतुंगा रोड, बेंगलूरु-560001.080-22230219,
nach@canarabank.com